संख्या-13/664/63-व0उ0-2015-125(एच)/91

प्रेषक,

राज बहादुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2015**

विषय:- वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो के आयोजन हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि रू0 12.00 लाख के आहरण की स्वीकृति/अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-130/ह0क0-प्रदर्शनी/2015-16, दिनांक 30.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.11.2014 द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 03 स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो के आयोजन हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि रू0 12,00,000.00 की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अब शासन से आहरण की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.11.2014 द्वारा स्वीकृत 03 स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो के आयोजन हेतु प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि रू0 12,00,000.00 (रूपया बारह लाख मात्र) के आहरण की अनुमति/स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-06, लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 103-हथकरघा उद्योग, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0102-राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना, 27-सब्सिडी के अन्तर्गत श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जायेगी।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

भवदीय,

राज बहादुर
अनु सचिव।

संख्या- 664(1)/63-व0उ0-2015-125(एच)/91, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज बहादुर
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in